शीलभंग और बलात्कार संबंधी कानून

बलात्कार के मामलों में सामाजिक सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। इसको लड़की, महिला की इज्ज़त-आबरू लुटना न मानकर बलात्कारी को अपराधी और दंडनीय तथा शर्मनाक मानना चाहिए। इसे झूठी सामाजिक इज्ज़त का ताना-बाना न पहनाएं। अपराधी को हर संभव सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। इन मामलों में चुप्पी की वजह से ही ये जुर्म आए दिन होते रहते हैं। कुछ माह की बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक इसकी शिकार हो सकती हैं। बलात्कारी नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी, पुलिस अधिकारी, सरंक्षक, नौकर या कोई भी अधिकारी हो सकता है।

छेड़खानी, डराना या परेशान करना—क्या ये अपराध हैं?

रास्ता चलते सीटी बजाना, शब्दों या हाव-भाव, कोई चीज़ दिखलाकर अश्लील इशारे करना, महिला का अपमान करना, शरीर पर हमला करना, अकेली महिला के पास उसके सतीत्व के अपमान के इरादे से ज़बरदस्ती जाना आदि ग़ैर-कानूनी है।

इन अपराधों की सज़ा—दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं।

महिला का शील या मर्यादा भंग अपराध है। इसके लिए दो साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।

क्या मार-पीट करना जुर्म है?

हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत् पत्नी को थप्पड़ मारने से लेकर डंडे, लोहे की छड़ या तेज़ हथियार से पीटना, इसमें शामिल है। धारा 319 में चोट या अधिक चोट पहुंचाना जुर्म है। धारा 323 में जानबूझ कर चोट या ज़्यादा चोट पहुंचाना जुर्म है।

सज़ा—1 साल की कैद या 1000 रु० जुर्माना या दोनों एक साथ किये जा सकते हैं।

जुर्म की रपट कहां की जाए?

जुर्म की शिकार महिला या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस में रपट लिखा सकता है।

सज़ा जुर्म की संगीनता पर निर्भर होगी। चोट मामूली है या गहरी है, इस पर सज़ा तय की जाएगी।

बलात्कार

बलात्कार के क़ानून में 1983 में संशोधन किया गया और धारा 375 के साथ धारा 376 क, ख, ग, घ जोड़ दी गईं।

इनके अनुसार नीचे लिखी परिस्थितियों में संभोग जुर्म होता है—

1. महिला की इच्छा के खिलाफ़।
2. बिना महिला की सहमति के।
3. सहमति डरा धमकाकर ली गई हो।
4. सहमति धोखे से ली गई हो। बिना कानूनी ब्याह के विश्वास दिलाया हो कि वे पति-पत्नी हैं।

5. महिला की सहमति नशे की स्थिति में या पागलपन, मानसिक असंतुलन की स्थिति में ली गई हो।
6. सहमति के बिना या सहमति के साथ अगर लड़की की उम्र 16 वर्ष या उससे कम हो।

कस्टोडियल रेप

हिरासत में बलात्कार को 'कस्टोडियल रेप' भी कहते हैं।

1. यदि जुर्म थाने में किया गया है, जहां वह काम करता हो।
2. किसी भी थाने के अहाते में किया गया हो, चाहे वहां उसकी ड्यूटी लगती हो या न लगती हो।
3. उस महिला के साथ हो जो उस अधिकारी या उसके मातहत कर्मचारी की हिरासत में हो।
4. सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठाता है और सरकारी रूप में अपनी या अपने मातहत कर्मचारी की हिरासत में महिला के साथ बलात्कार करता है।
5. कानून के अनुसार स्थापित जेल, हवालात या दूसरी हिरासत की जगह या महिला/बाल संस्था के बंदोबस्त में अधिकारी/कर्मचारी अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठाकर जेल, हवालात, महिला या बाल संस्था में रहने वाली के साथ बलात्कार करता है।
6. अस्पताल के बंदोबस्त में अधिकारी या कर्मचारी अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठाकर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है।
7. समूह बलात्कार करता है।

'कस्टोडियल रेप' में बलात्कारी तब तक गुनाहगार माना जाएगा जब तक वह बेकसूर साबित न हो जाए। बलात्कार के सामान्य मामलों में उसका गुनाह साबित करने की जिम्मेदारी इल्जाम लगाने वाले पर होगी।

बलात्कार के कानून में यह संशोधन उस समय किया गया जब एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा दो नाबालिग लड़कियों पर हमला करने और उनमें से एक के साथ बलात्कार के जुर्म में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इस जुर्म के लिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है।

सबूत

अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है तो नीचे लिखे सबूत अदालत में काम आते हैं।

महिला की उम्र तय करने के लिए जन्म संबंधी प्रमाण-पत्र। यदि यह न हो तो डाक्टरी राय ली जाती है।

डाक्टरी सर्टीफिकेट—महिला के गुप्त अंगों एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट। महिला या मुजरिम के कपड़ों पर शुक्राणु और खून के धब्बे। बलात्कारी के शरीर पर महिला के बालों का पाया जाना आदि।

रासायनिक जांच—बलात्कार की शिकार महिला के कपड़ों की रासायनिक जांच।

महिला को अपने कपड़े रपट लिखाने जाते समय साथ ले जाने चाहिए।

शिकार महिला का बयान—1983 में क़ानून में एक और संशोधन किया गया है। यदि मुजरिम द्वारा संभोग किया जाना साबित हो जाता है और सिर्फ यह सवाल रह जाता है कि महिला की सहमति थी या नहीं तो महिला अगर यह बयान देती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो अदालत

को यह बयान मानना होगा।

अगर शिकार महिला की मृत्यु हो रही है और उस समय वह कुछ बयान देती है तो उसे ही गवाही माना जाएगा।

अगर शिकायत करने वाला पक्ष मुजरिम की डाक्टरी जांच की मांग करता है तो उसकी डाक्टरी जांच करवानी होगी। इससे अपराध प्रमाणित होने का सबूत मिल सकता है।

मुजरिम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी डाक्टरी जांच की मांग कर सकता है।

डाक्टरी जांच सिर्फ़ पंजीकृत डाक्टर द्वारा ही होनी चाहिए।

यह जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जांच में देरी होने से कई सबूत नष्ट हो जाने का डर है।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक मामले में यह फैसला दिया है कि बहुत भीतरी इलाके के गांव में रह रही गरीब महिला के लिए डाक्टरी सर्टीफिकेट जुर्म साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है।

बलात्कार के लिए सज़ा

- कम से कम 7 साल से 10 साल की कैद और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र-कैद और जुर्माना।
- अपनी पत्नी (18 साल से छोटी) से बलात्कार की सजा 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हैं।
- हिरासत में बलात्कार करने की सज़ा कम से कम 10 साल की सख्त कैद या उम्र-कैद जुमनि सहित।
- एक गर्भवती या 12 साल से छोटी लड़की के साथ बलात्कार करने की सज़ा भी हिरासत में बलात्कार वाली होगी।
- समूह बलात्कार में सभी बराबर के मुजरिम माने जाएंगे। अगर बलात्कार का जुर्म साबित हो जाता है तो सभी को अलग-अलग बराबर सजा दी जाएगी। □